राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 639/2009

कुंज बिहारी राजावत

–अपीलार्थी

बनाम

मुख्य अभियंता, पी.एच.ई.डी., राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.08.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति पर उसकी ग्रेचुटी की राशि से 1,14,720/– रुपये की राशि वसुल कर ली गई, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त रकम की वसुली भण्डार से चोरी हो जाने के कारण अपीलार्थी से वसुली की गई है, जो उचित नहीं है। दौराने बहस अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी से रकम की वसुली के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते है।
2. प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट

रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)